न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 01/18 दावा **निर्णय दिनांक 28.08.19**

बउनवान

1. पुष्पाबाई पत्नी स्व0 हंसराज जाति मीना निवासी केशवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास।
2. चन्द्रकांता पुत्री प्रभूलाल जाति मीना पत्नी मांगीलाल निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास हाल निवास ललावता तहसील खानपुर जिला झालावाड।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादीगण 01 लगायात 02 की ओर से एडवोकेट संजय सिंह
प्रतिवादी क्रम 03 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट राजस्थान काश्ताकारी अधिनिमय 1956 की अन्तर्गत धारा 88,89 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास जिला कोटा के खसरा नबंर 635 की 2.10 है0, खसरा नबंर 796 की 2.13 हे0, कृषि भूमि के साथ–साथ अन्य खसरा नबंर की भूमियां स्थित है, जो कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 अन्य सहखातेदारान के नाम से दर्ज रही है, उक्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी क्रम 01 व 02 का हिस्सा क्रमशः 1/4–1/4 अर्थात कुल 1/2 रहा है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता होने से उन्होनें ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित उनके खाते में दर्ज खसरा नबंर 635 की 2.10 है0, कृषि भूमि में दर्ज उनके 1/2 हिस्से की कृषि भूमि को वादीनी को विक्रय करने का अनुबन्धित भूमि के विक्रय विलेख का पंजीयन वादीनी के नाम से दिनांक 06.05.2015 को करवा दिया था, तथा विक्रय की गई भूमि पर वादीनी को रिक्त आधिपत्य भी उसी वक्त दे दिया गया था, जिस पर वादीनी वर्तमान में वक्त खरीद की दिनांक से शांति पूर्वक उपयोग उपभोग में है। प्रतिवादी क्रम 01 व 02 द्वारा वादीनी के पक्ष में किये गये पंजीकृत विक्रय विलनेख दिनांक 06.05.2015 की फोटोप्रति पटवारी महोदय को दे दी थी, जिसने पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर वादीनी के नाम से नामान्तरण भी दर्ज कर दिया था।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

यह कि वादीनी ने प्रतिवादी नबंर 01 व 02 से खरीदशुदा भूमि पर ऋृण सुविधा लेने के लिये पटवारी महोदय से दिनांक 06.07.2017 को नकल प्राप्त की व अपनी कब्जे शुद्वा भूमि को बैंक अधिकारी को दिखाया, तो वादीनी की जानकारी में आया, कि वादीनी का कब्जा खसरा नबंर635 की 2.10 है0, भूमि में 1/2 हिस्से पर है, तथा वादीनी का नाम खसरा नबंर 796 की 2.13 है0, भूमि में 1/2 हिस्सो पद दर्ज हो रहा है। उक्त त्रृटि का पता लगने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की, और कहा, कि उसने प्रतिवादी क्रम 01 व 02 से खसरा नबंर 635 की भूमि में आधा हिस्सा खरीद किया था, फिर उसका नाम खसरा नबंर 796 की 2.13 है0, भूमि में आधे हिस्से पर कैसे दर्ज हुआ, इस पर हल्का पटवारी ने वादीनी से रजिस्ट्री की कॉपी मंगवाई व देखकर कहा, कि वादीनी के नाम से जो रजिस्ट्री दिनांक 06.05.2015 को हुई है, उसमें खसरा नबंर 635 रकबा 2.10 है0, के स्थान पर खसरा नबंर 796 रकबा 2.13 हे0, दर्ज हो गया है, तथा रजिस्ट्री के आधार पर ही खाते में अमल मुताबिक रजिस्ट्री हुआ है। उक्त भूल का पता लगने पर वादीनी ने प्रतिवादीक्रम 01 व 02 के साथ प्रतिवादी नबंर 03 के कार्यालय में जाकर पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में हुई उक्त त्रृटि को शुद्व करने का निवेदन किया, तो उन्होने उसमें असमर्थता जाहिर की और कहा कि वे न्यायालय के आदेश के बिना उक्त संशोधन को नंही कर सकते हैं। इस प्रकार वादीनी ने माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश कनवास के समक्ष पुष्पाबाई बनाम प्रहलाद वगैरा शीर्षक से विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 को स्वीकार किया गया, जिसमें आदेश दिया गया कि विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में वर्णित खसरा नबंर 796 के स्थान खसरा नबंर 635 व रकबा 2.13 है0, के स्थान पर 2.10 है0, किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, व उक्त परिशुद्वि विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में भी लाल स्याही से अंकित की गई। माननीय सिविल न्यायाधीश कनवास से विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में परिशुद्वि किये जाने के उपरान्त भी वादीनी ने प्रतिवादी नबंर 03 के कार्यालय में जाकर मुताबिक विक्रय विलेख राजस्व रिकार्ड में शुद्वि किये जाने बाबत निवेदन किया तो उन्होनें कहा कि आपको इसके लिये भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहा कार्यवाही कर आदेश लाना पडेगा। इसलिये वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व माननीय न्यायालय में यह दावा प्रस्तुत है।

वदीनी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पुनः निवेदन किया कि वादीनी को माल ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित विक्रय विलेख दिनांक06.05.2015 में वर्णित खसरा नबंर 635 रकबा 2.10 है0, में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 796 रकबा 2.13 हे0, कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में शुद्वि की जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे।

प्रस्तुत वाद दायर रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण को जारी की गई। प्रतिवादी क्रम 01 व 02 की ओर से दिनांक 17.01.18 को जर्ये एडवोकेट श्री संजय सिंह वकालता नामा मय जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादनी का वाद स्वीकार कर मुताबिक दावा डिक्री किये जाने में हम प्रतिवादीगण 01 व 02 को कोई आपत्ति नंही है। तथा राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास की ओर से जवाब पेश नंही करने पर जवाब दावा बंद किया गया। प्रस्तुत दावे में इकबाली जवाब के आधार पर तनकी की आश्यकता प्रतीत नंही होती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दावे में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नंही करना चाहते हैं।

पत्रावली में बहस सुनी गयी, प्रतिवादी क्रम 01 व 02 की ओर से एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत दावे को मुताबिक वाद पत्र डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

हमारे द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों , जवाब दावा, व संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया , जिससे हम वादीनी को माल ग्राम पानाहेडा तहसील

कनवास में स्थित विक्रय विलेख दिनांक06.05.2015 में वर्णित खसरा नबंर 635 रकबा 2.10 है0, में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 796 रकबा 2.13 हे0, कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में शुद्वि की जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करना न्यायोचित समझते हैं।,

आदेश

अतः वादनी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि वादीनी को माल ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में वर्णित खसरा नबंर 635 रकबा 2.10 है0, में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 796 रकबा 2.13 हे0, कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. पुष्पाबाई पत्नी स्व0 हंसराज जाति मीना निवासी केशवपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राजस्थान।

वादनी

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास।
2. चन्द्रकांता पुत्री प्रभूलाल जाति मीना पत्नी मांगीलाल निवासी ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास हाल निवास ललावता तहसील खानपुर जिला झालावाड।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नं. **01/18** सन **2018** तारीख फैसला **28.08.2019 न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री अशोक कुमार जैन वादनी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 व 02 की ओर से एडवोकेट श्री संजय सिंह व प्रतिवादी नबंर 03 राजस्थान सरकार के विरूद्व एक तरफा** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिक्री जारी की जाती है कि वादीनी को माल ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित विक्रय विलेख दिनांक 06.05.2015 में वर्णित खसरा नबंर 635 रकबा 2.10 है0, में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी क्रम 01 व 02 को ग्राम पानाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नबंर 796 रकबा 2.13 हे0, कृषि भूमि में से 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... **X** ...मुबलिग .... **X** ...बाबत ... **X** ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... **X** ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... **X** .. को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **28.08.2019** माह **अगस्त 2019** को जारी की गई।

मोहर ....

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ''''	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा ''''	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा ''''			स्टाम्प अर्जी ''''		
स्टाम्प वजह सबूत ''''			महनताना वकील ''''		
महनताना वकील ''''			खर्चा गवाहान ''''		
खर्चा गवाहान ''''			फीस कमिश्नर ''''		
फीस कमिश्नर ''''			बाबत इजराय हुकमनामा ''''		
बाबत इजराय हुकमनामा ''''			मुतफर्रिक ''''		
मुतफर्रिक ''''			मीजान ''''		
मीजान ''''					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)